न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 160/2025 बउनवानी प्रियंका गौत्तम **बनाम** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पत्नि देवप्रिय गौत्तम पुत्री सुरेश चन्द गौत्तम नि0 1/506 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/321

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
26.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 11.9.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **जिला कलक्टर कार्यालय के निजी अनुभाग में वरिष्ठ सहायक** पद **पर कार्यरत श्री देवप्रिय गौत्तम के प्रमोशन के समय दिये गये शपथ पत्र एवं माह जनवरी,2025 से अगस्त,2025 तक की वेतन स्लिप की प्रमाणित प्रति**" अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(01)(141)सूकाअ/2025/1304 दिनांक 03.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 11.9.2025 मे चाही गयी सूचना श्री देवप्रिय गौत्तम की निजी सूचना होने के कारण श्री देवप्रिय गौत्तम की सहमति से दिया जाना सम्भव है। उक्त सूचना के संबंध में श्री देवप्रिय गौत्तम द्वारा पूर्व मे ही दिनांक 25.3.2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनकी निजी सूचना , सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी को नही देने हेतु निवेदन किया जा चुका है। आवेदन पत्र मं चाही गयी सूचना, अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत देय नही है। जिसके संबंध में जरिये पत्रांक 1109 दिनांक 16.9.2025 द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। अपीलाण्ट नियत दिनांक 12.11.2025 को उपस्थित हुई किन्तु कोई लिखित आपत्ति पेश नही की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 11.9.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना श्री देवप्रिय गौत्तम की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण अधिनियम की धारा 8(1)(जे) तहत दिये जाने योग्य नही होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टरा सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1109 दिनांक 1.9.2025 द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	